



Neutral Citation Number– 2026:AHC:56249

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8763/2026

गणेश शंकर तिवारी

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: अभिषेक चौहान, श्यामा चरण त्रिपाठी, सुमंत

कुमार तिवारी

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. इस न्यायालय के दिनांक 16.03.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री आशीष तिवारी, डी.आई.जी. (तकनीकी), उत्तर प्रदेश पुलिस, दृश्य संवाद के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए; क्योंकि ए.डी.जी. (तकनीकी), उत्तर प्रदेश पुलिस, उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वे किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने निवेदन किया कि, कुछ भ्रम के कारण, ए.डी.जी. (तकनीकी), उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिनांक 16.03.2026 को यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बयान दिया था कि वाद डायरी प्राप्त करने की सुविधा सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दे दी गई है; हालाँकि, वास्तव में, सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से केवल किसी आरोपी के आपराधिक इतिहास तक ही पहुँच प्रदान की गई है।

2. संयुक्त निदेशक (अभियोजन), इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि पहुँच उपलब्ध है और यदि कम से कम तीन से चार कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उचित मामलों में विद्वान ए.जी.ए. को आपराधिक इतिहास प्रदान किया जाएगा। श्री ललित मंगर, निदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश ने न्यायालय को आश्चस्त किया कि वे पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के कार्यालय से या किसी अन्य कार्यालय से कर्मचारियों का स्थानांतरण करके, संयुक्त निदेशक (अभियोजन), इलाहाबाद उच्च न्यायालय को तीन से चार अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे।

3. मामले के गुण-दोष पर आते हुए, मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक चौहान और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना, और अभिलेख का अवलोकन किया।

4. यह तत्काल जमानत आवेदन, विचारण के दौरान, थाना- खजनी, ज़िला- गोरखपुर में दर्जवाद अपराध संख्या-495/2024 (बी.एन.एस. की धारा-109, 115(2) और 333 के तहत) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में, तीन नामजद व्यक्तियों और सात से आठ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। एफ.आई.आर. में, और साथ ही घायल व्यक्ति के बयान में लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, और किसी भी आरोपी व्यक्ति को, जिसमें वर्तमान आवेदक भी शामिल है, कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आगे यह भी कहा गया है कि दो पीड़ितों की चोट की रिपोर्ट की जांच की गई है और सभी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 27.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्य पर कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

7. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **गणेश शंकर तिवारी** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

12. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

एस.ए.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”